"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."





# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2009—ज्येष्ठ 1, शक 1931


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2009

### अधिसूचना

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2009/529.—छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 61-क से 61-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 10 के उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(8) यदि सक्षम प्राधिकारी पांच वर्ष की कालावधि के भीतर पात्र व्यक्तियों को भू-खण्ड/भवन आबंटित करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में, राज्य सरकार, ऐसे प्रकरणों पर निर्णय लेगी, जिसमें कालावधि में विस्तार भी सम्मिलित है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुधीर अग्रवाल**, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2009

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2009/530.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1999 में संशोधन बाबत अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुधीर अग्रवाल**, विशेष सचिव.

Raipur, the 22nd May 2009

NOTIFICATION

No./529/PGVV/22/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with sub-section (1) of section 95 read with section 61-A to 61-F of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Registration of Coloniser Terms and Conditions) Rules, 1999, the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section 95 of the said act, namely :—

AMENDMENTS

In the said rule :—

For sub-rule (8) of rule 10, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(8) If, within a period of Five years, the competent Authority fails to allot the plot/houses to the eligible persons, in such condition State Government shall take decision of these cases, in which the extension of period is also included."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUDHIR AGRAWAL, Special, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.